कार्यालय अधिष्ठाता
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 1519 / एमसी / 14 / 2021 भोपाल, दिनांकः 29 / 05 / 2021

अनिवार्य ग्रामीण सेवा बॉण्डेड चिकित्सकों हेतु आवश्यक सूचना

महाविद्यालय में एम.बी.बी.एस पाठ्यक्रम (बैच 2002 से 2012) डिग्री पाठ्यक्रम (बैच 2006 से 2015) तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम (2006 से 2016) में प्रवेशित जिन छात्र / छात्राओं द्वारा अनिवार्य ग्रामीण सेवा पूर्ण नहीं की गई है, उन्हें सूचित किया जाता है कि के महाविद्यालय में सात दिवस में अनिवार्य रूप से ग्रामीण सेवा हेतु बंधपत्र की राशि महाविद्यालय में जमा करावें।

यदि आपके द्वारा अनिवार्य ग्रामीण सेवा पूर्ण की गई है, अथवा ग्रामीण सेवा से छूट हेतु बॉण्ड की राशि महाविद्यालय में जमा की गई है, तो तत्संबंधी सूचना मय प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों के साथ महाविद्यालय में ग्रामीण सेवा संबंधी बंध पत्र प्रकरणों के संबंध में गठित समिति के समक्ष सात दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में आपके द्वारा अनिवार्य ग्रामीण सेवा पूर्ण नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप आपके विरूद्ध शासन द्वारा निहित प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आपकी जानकारी मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल को प्रेषित की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी रहेगें।

नोटः– चिकित्सकों की सूची महाविद्यालय की वेबसाईट www.gmcbhopal.net पर उपलब्ध है।

अधिष्ठाता
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल